सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 102 राँची, गुरूवार, 12 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

07 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-49/2023 का० 110--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री परितोष कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-726/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध उपायुक्त साहेबगंज के पत्रांक-1185/भू०अ०, दिनांक 25.08.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में श्री ठाकुर के विरूद्ध उपायुक्त के विलोपित आदेश को गलत मंशा से छिपाने एवं बार-बार पूर्व के पत्र का उल्लेख करने, वंशावली से संबंधित रैयतों को बिना सुनवाई किये गलत मंशा से बंटननामा के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करने, मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में निहित निर्देशों का जानबूझकर विभागीय पत्र की अवहेलना करते हुए भुगतान की कार्रवाई करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0-1654, दिनांक 04.03.2024 द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-523, दिनांक 04.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को **Exhibit** नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों/ सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आगे जाँच करने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री ठाकुर को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री ठाकुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1654, दिनांक 04.03.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्री ठाकुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री परितोष कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102 - 50